न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 38 / 2018

बउनवान

बदरया उर्फ बाबूलाल उम्र 45 साल पुत्र श्री बजरंगा उर्फ बजरंगालाल जाति—बेरवा निवासी—भावगढ, तहसील—मॉगरोल जिला—बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक— 24.09.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 18.2.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—भावगढ, तहसील—मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी I पर अतिक्रमी मानकर 640/—रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन(तीन माह) के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.2.2016 को उसकी अनुपस्थित में मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, कब्जा छोड रखा है तथा उसके विरूद्ध कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पूर्व से हीं छोड रखा है। निर्णय हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती मानकर पारित किया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्‌वर्ती बाबत कोई रेकार्ड नहीं है। निर्णय परप्रोर्मा पर एकपक्षीय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.2.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 91/2015 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया ज़ाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 91/15 निर्णय दिनांक 23.02.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की [illegible] होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार [illegible] संख्या 84/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 को [illegible] जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] जलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)